झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/कार्य–49/2015 .... राँची, दिनांक–...............................

प्रेषकः

ई० मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 7 अदद वीयर योजना निर्माण लागत राशि रू० 922.46 लाख (रूपये नौ करोड़ बाइस लाख छियालिस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 7 अदद वीयर योजना निर्माण लागत राशि रू० 922.46 लाख (रूपये नौ करोड़ बाइस लाख छियालिस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राज्य के नदी नालों में बहने वाले जल को रोककर उसे नियंत्रित रूप से Gravity flow के द्वारा प्रवाहित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वीयर निर्माण की योजना अत्यंत उपयोगी है।

4. (क) प्रस्तवित योजनाओं की सूची का परिशिष्ट–I पर संलग्न है।

(ख) इस प्रस्ताव की कुल लागत रू० 922.46 लाख है, जिससे 923 हे० सिंचन क्षमता सृजन का अनुमान है। प्रस्ताव का औसत इन्सीडेन्स ऑफ कॉस्ट रू० 1.24/प्रति हेक्टेयर आकलित है।

5. प्रस्तावित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रस्तावित है :–

(क) वीयर योजना हेतु चयनित नदी/नाला पर प्रस्तावित योजना के लिए स्थल के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत रूपांकण के आधार पर योजनावार विस्तृत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

(ख) कार्यकारी प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्य के अनुरूप मद एंव मात्रा को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी।

(ग) वीयर योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व लाभुक समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थिति में स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।

6. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय निम्न रूप से भारित किया जायगाः–

(क) जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजनाओं पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना–19 नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–19–नई लघु सिंचाई योजना का निर्माण'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

7. प्रस्तावित योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर वर्ष 2018–19 में पूर्ण किया जायेगा।

8. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची/रामगढ़/जमशेदपुर/गोडड्डा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो। इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

11. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0ः– परिशिष्ट–I

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–49/2015 .... राँची, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0ः– परिशिष्ट–I

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–49/2015 .... राँची, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राँची/रामगढ़/जमशेदपुर/गोडड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0ः– परिशिष्ट–I

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–49/2015 .... राँची, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–।।, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/चाईबासा/दुमका, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची/रामगढ़/जमशेदपुर/गोडड्डा, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु0ः– परिशिष्ट –I

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–49/2015 .... राँची, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची / कोल्हान प्रमंडल चाईबासा/संथाल परगना प्रमंडल दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0ः– परिशिष्ट –I

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–49 / 2015 .... **राँची, दिनांक–**..............................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0ः– परिशिष्ट –I

ह0 / –

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–49 / 2015 06/17-18 प्र॰ स्वी॰ .... **राँची, दिनांक–** 24.04.2017

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0ः– परिशिष्ट –I

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

परिशिष्ट–1

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन वियर योजना निर्माण कार्य के प्राक्कलन की प्रमण्डलवार समेकित सूची -

(राशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	प्रमंडल	जिला	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे0)			Lati	Longi	Incidence of Cost	B.C. Ratio	अभि0
						खरीफ	रब्बी	कुल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम	मरिया खाल नाला पर वियर निर्माण	चकुलिया	87.560	36	18	54	22°23'28.53" N	86°38'49.31' E	1.620	2.410	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़	रामगढ़	बड़का नदी पर चेकडैम / वीयर निर्माण	गोला	95.361	46	17.5	63.5	23°29'3.18" N	85°50'54.60" E	1.500	1.000	
3		रामगढ़	घोरमोरा पर चेकडैम / वीयर निर्माण	गोला	129.665	75	17.5	92.5	23°28'47.82" N	85°48'44.82" E	1.420	1.010	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची	राँची	हाँकेदाग वीयर निर्माण	सिल्ली	68.955	28	11	39	23°26'5.7" N	85°47'13.5" E	1.770	1.430	
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोडड्डा	गोड्डा	चीर नदी में वीयर निर्माण कार्य	पोड़ैयाहाट	219.603	251	45	296	24° 41'40.83"N	87°08'28,31" E	0.740	1.160	
6		गोड्डा	लहटन पकड़िया डॉड़ में वीयर का निर्माण	पथरगामा	219.026	195	35	230	24° 54'56.52"N	87°09'6.48"E	0.950	1.980	
7		गोड्डा	बोआरीजोर नाला में वीयर निर्माण	बोआरी जोर	102.286	131	17	148	25.057633° N	87.473520°E	0.700	1.450	
	कुल :–				922.456	762	161	923			1.24		
	अर्थात:–				922.460								

06/17-18 प्र० स्वी०
24.04.2017

उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग
24/4/17
24/04/17

D:\Dixit\My documents\PMC\3_49_15_Work_AA_Weir

7 schemes_04.04.17